न्यायालय कलेक्टर, जिला– अनूपपुर (म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक–01 /अ–19(3)/2020–21

अनुविभागीय अधिकारी, म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग उप संभाग राजेन्द्रग्राम जिला अनूपपुर (म0प्र0) .... आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन .... अनावेदक

(आदेश पारित एवं घोषित दिनांक 21/05/2020)

मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग का पत्र क्रमांक–31/तक/2020–21 दिनांक 02.05.2020 द्वारा बोदा से लखौरा मार्ग लम्बाई 12 कि.मी. के निर्माण में 7.350 हे. प्रभावित वन भूमि के बदले शासकीय राजस्व भूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने की मांग की गई ।

2/ उक्त सम्बन्ध में तहसीलदार पुष्पराजगढ़ एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, पुष्पराजगढ़ से जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। तहसीलदार पुष्पराजगढ़ के प्रतिवेदन दिनांक 11.05.2020 के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, पुष्पराजगढ़ ने प्र. क्र.–0001/अ–19(2)/2020–21 में प्रतिवेदन दिनांक 12.05.2020 प्रेषित कर न्यायालय कलेक्टर अनूपपुर के रा0प्र0क्र0 34/अ–19(3)/2017–18 आदेश दिनांक 29.09.2018 द्वारा ग्राम मौहारी तहसील पुष्पराजगढ़ की आ0ख0नं0 179 रकवा 3.253 हे. एवं प्रकरण क्रमांक–05/अ–19(3)/2019–20 आदेश दिनांक 17.05.2019 द्वारा ग्राम बोदा की आ0ख0नं0 281/1 अंश रकवा 4.097 हे. का हस्तान्तरण आदेश निरस्त करते हुए, ग्राम सरई तहसील पुष्पराजगढ़ की शासकीय भूमि खसरा नम्बर 104 रकवा 12.646 हे. के अंशभाग 7.350 हे. भूमि बोदा से लखौरा मार्ग लम्बाई 12 कि.मी. में आ रही वन भूमि के बदले राजस्व विभाग की भूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित करने का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है । प्रश्नाधीन शासकीय भूमि के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में तहसीलदार पुष्पराजगढ़ द्वारा इश्तहार का प्रकाशन कराया गया, जिस पर समयावधि में किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है । इस तरह प्रश्नाधीन शासकीय भूमि बोदा से लखौरा मार्ग निर्माण से प्रभावित वन विभाग की वनभूमि के बदले शासकीय राजस्व विभाग की भूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किया जाना उपयुक्त प्रतीत होता है ।

3/ अतः तहसीलदार, तहसील पुष्पराजगढ़ एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, पुष्पराजगढ़ के प्रतिवेदन दिनांक 11.05.2020 व 12.05.2020 के आधार पर, न्यायालय कलेक्टर अनूपपुर के रा0प्र0क्र0 34/अ–19(3)/2017–18 आदेश दिनांक 29.09.2018 द्वारा ग्राम मौहारी तहसील पुष्पराजगढ़ की आ0ख0नं0 179 रकवा 3.253 हे. एवं प्रकरण क्रमांक–05/अ–19(3)/2019–20 आदेश दिनांक 17.05.2019 द्वारा ग्राम बोदा की आ0ख0नं0 281/1 अंश रकवा 4.097 हे. का हस्तान्तरण आदेश निरस्त करते हुए, म0प्र0 शासन राजस्व पुस्तक परिपत्र, खण्ड–4 क्रमांक–1 की कंडिका–36 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत, ग्राम सरई तहसील पुष्पराजगढ़ की शासकीय भूमि खसरा नम्बर 104 रकवा 12.646 हे. के अंशभाग 7.350 हे. भूमि बोदा से लखौरा मार्ग लम्बाई 12 कि.मी. में आ रही वन भूमि के बदले राजस्व विभाग की भूमि, वन विभाग, वन मण्डलाधिकारी, अनूपपुर के पक्ष में वृक्षारोपण हेतु, बिना प्रब्याजि एवं भू–भाटक के निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने का आदेश दिया जाता है ।

आज दिनांक 21/05/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से आदेश पारित एवं घोषित किया गया ।

कलेक्टर
जिला अनूपपुर (म0प्र0)

Scanned with CamScanner

पृ0क्रमांक–01 /अ–19(3)/20–21 अनूपपुर, दिनांक 21/05/2020

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, म0प्र0 शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल ।
2. आयुक्त, शहडोल संभाग शहडोल (म0प्र0) ।
3. वनमण्डलाधिकारी, अनूपपुर जिला अनूपपुर (म0प्र0) ।
4. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग अनूपपुर, जिला अनूपपुर (म0प्र0) ।
5. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पुष्पराजगढ़ जिला अनूपपुर ।
6. तहसीलदार तहसील पुष्पराजगढ़ की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि आदेशानुसार प्रश्नाधीन शासकीय भूमि के राजस्व अभिलेख खसरे में संशोधन कर भूमि का अधिपत्य वन विभाग को प्रदाय कर संशोधित खसरे की प्रति पालन प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करने हेतु ।

कलेक्टर
जिला अनूपपुर (म0प्र0)

Scanned with CamScanner